TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II,
Section 3 (Sub-section i).

--

G 5(2)93
5.6.65

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES & METALS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1965.

MII-1(62)/63 - In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:

1. These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1965.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 -

(i) in rule 14, in sub-rule (1), -

(a) in clause (ii), for the words "silver and precious stones", the words "silver, precious stones or mica" shall be substituted;

(b) clause (iii) shall be re-numbered as clause (iii)-(a) and after clause (iii)-(a) so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii)-(b) in the case of mica, the licensee may carry away any quantity not exceeding 10 tonnes won during the course of prospecting operations on payment of royalty for the time being specified in the Second Schedule to the Act."

(ii) in Schedule III, -

(a) in the second column, against class 10, the word "Mica" shall be inserted after the word "graphite".

(b) Class 18 and the entries relating thereto shall be omitted.

(H.S. Sahni)
Under Secretary to the Government of India.

To

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road,
New Delhi.

(भारत राजपत्र के भाग २ खण्ड ३ (i) में प्रकाशन के लिये)

भारत सरकार

इस्पात तथा खान मंत्रालय

खान तथा धातु विभाग

नई दिल्ली, दिनांक २६ मई, १९६५
५ ज्येष्ठ, १८८७ शक

अ धि सू च ना

संख्या १(६२)६३ खान-२ - खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ (१९५७ के ६७) की धारा १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रिय सरकार खनिज रियायती नियम १९६० का और संशोधन करते हुए नीचे दिये हुए नियम बनाती है, अर्थात

(१)- इन नियमों को खनिज रियायती (दूसरा संशोधन) नियम १९६५ कहा जाय ।

(२)- खनिज रियायती नियम १९६० में :-

(i) नियम १४ के उप नियम (१) में-

(क) खण्ड (क्लाज) (ii) में ' चांदी और कीमती पत्थर ' इन शब्दों के स्थान पर ' चांदी , कीमती पत्थर अथवा अभ्रक ' पढ़िये ,

(ख) खण्ड ३ (क्लाज) को खण्ड ३ (क) की संख्या दी जाय और खण्ड ३(के) के पश्चात नीचे दिया हुआ खण्ड सम्मिलित किया जाय, यथा-

' खण्ड ३ (ख) अभ्रक के विषय में पट्टाधारी इसकी कोई भी मात्रा जो कि १० मीटरी टन से अधिक नहीं होगी पूर्वेक्षण कार्य के दौरान में राजस्व देकर जो कि इस नियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित है, ले जा सकता है । '

(ii) अनुसूची ३ में :-

(क) दूसरे स्कम्भ (कालम) में श्रेणी १० के सामने ' ग्रेफाइट ' शब्द के बाद अभ्रम शब्द भी शामिल किया जाय ।

(ख) श्रेणी १८ और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियां निकाल दी जायं ।

ह0/-
एच० एस० साहनी
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में-
प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड़, नई दिल्ली ।